वि-जनजातीयकरण/अ-जनजातीयकरण/जनजातीयताक्षयन (De-tribalisation)

वि-जनजातीयकरण/अ-जनजातीयकरण/जनजातीयताक्षयन एक परिवर्तन प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनजातीय समाजों में मौलिक जनजातीय सांस्कृतिक विशेषताओं में परिवर्तन होता है। अत: वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से जनजातीय समाज की मौलिक सांस्कृतिक विशेषताओं में परिवर्तन लाया जाता है, वि-जनजातीयकरण/अ-जनजातीयकरण/जनजातीयताक्षयन कहलाती है। इस प्रक्रिया के कारण जनजातीय समाज में परंपरागत सांस्कृतिक तत्वों के स्थान पर दूसरे समाज के सांस्कृतिक तत्वों को अपनाया जा रहा है। दूसरे समाज के सांस्कृतिक तत्वों के अपनाने के कारण जनजातीय समाज में उनकी अपनी मौलिक सांस्कृतिक विशेषताओं का क्षयन होता जा रहा है। इस प्रक्रिया के कारण उनके समाज में कई परंपरागत सांस्कृतिक तत्वों का या तो विलोपन हो गया है अथवा वे विलोपन के कगार पर पहुंच गए हैं। अत: इस प्रक्रिया के कारण जनजातीय सांस्कृतिक तत्वों का क्षयन प्रकाश में आया है।

जनजातीय समाज की अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक प्रथाएं रही हैं। उन प्रथाओं के कारण जनजातीय संस्कृति एवं समाज की अपनी पहचान बनी हुई है। ये प्रथाएं जनजातीय समाजों में परंपरा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं।

जनजातीय समाज में सामाजिक संगठन का आधार टोटम होता है। टोटम से संबंध दर्शाकर टोटमिक गोत्र का निर्माण होता है। सगोत्र विवाह वर्जित होता है। जनजातीय समाज में समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक दोनों प्रकार का होता है।

Scanned with CamScanner

परिवार पितृस्थानीय अथवा मातृस्थानीय होता है। वंश पितृपक्षीय अथवा मातृपक्षीय होता है। संपत्ति उत्तराधिकार भी पितृपक्षीय अथवा मातृपक्षीय होता है। उसी प्रकार पद एवं पदवी का हस्तांतरण पिता पक्षीय अथवा माता पक्षीय होता है।

जनजातीय समाज में अंतर जनजातीय विवाह तथा अंतर धार्मिक विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं है। सगोत्र विवाह भी पूर्णत: वर्जित माना जाता है। जीवन साथी वधू मूल्य, परीक्षा, पलायन, सेवा, इत्यादि तरीकों से प्राप्त किया जाता है। विवाह के समय परंपरागत प्रथाओं का पालन किया जाता है। विवाह अनुष्ठान के समय नाच, गान तथा हड़िया का सेवन सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। जनजातीय समाज में बहुपत्नी, बहुपति तथा एक पति-पत्नी विवाह का प्रचलन है। विवाह के समय लड़का के पिता लड़की के पिता के पास जाकर विवाह संबंध के लिए बातचीत आरंभ करता है।

युवा गृह जनजातीय समाज की सांस्कृतिक पहचान है। युवा गृह को विभिन्न जनजाति में विभिन्न नामों से पुकारते हैं। उरांव समाज में धमखुरिया, मुंडा तथा हो जनजाति में गिटिओरा, सौरिया पहाड़िया में कोडवाह अड्डा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की गौंड जनजाति इसे गोथुल कहते हैं।

जनजातीय समाज की अपनी धार्मिक व्यवस्था होती है। उनके विश्वास के अनुसार सिंगबोंगा (सूर्यदेव) तथा धरती मां सबसे बड़े देवी-देवता हैं। जनजातीय समाज के सदस्य जड़ एवं चेतन सभी वस्तुओं में अलौकिक शक्ति का निवास मानते हैं, जिसे मानावाद कहा जाता है। जनजातीय ग्राम में एक सारना स्थल होता है जहां उनके देवी-देवताओं एवं पूर्वजों का वास होता है। जनजातियों के अपने धार्मिक विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें पाहन कहा जाता है। पाहन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जाते हैं। बलि, हड़िया तथा पूजा द्वारा देवी-देवताओं तथा आत्माओं को संतुष्ट किया जाता है। जनजातीय समाज के सदस्य परंपरागत नृत्य एवं संगीत के साथ अपना त्योहार मनाते हैं। वे लोग त्योहार मनाने के लिए अखरा में एकत्र होते हैं तथा नृत्य एवं संगीत में भाग लेते हैं।

जनजातीय समाज की अपनी राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है। उनके बीच प्रौढ़ जन की परिषद् ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, अंतर ग्राम पंचायत तथा जनजातीय प्रधान नामक राजनीतिक संस्थाएं पाई जाती हैं जिनके माध्यम से राजनीतिक समस्याओं का समाधान ढूंढने के प्रयास किया जाता है।

जनजातियों का वास स्थान जंगल, पहाड़ी, पठारी तथा समुद्र तटीय क्षेत्र होता है। विशेष प्रकार की पारिस्थितिकी में रहने के कारण उनमें सांस्कृतिक भिन्नता पाई जाती है।

अ-जनजातीयकरण/वि-जनजातीयकरण या जनजातीयताक्षयन प्रक्रियाओं के कारण उपरोक्त जनजातीय सांस्कृतिक तत्वों का क्षयन हो रहा है।

Scanned with CamScanner

जनजातीयता क्षयन से संबंधित कारक

भारत के जनजातीय समाजों में जनजातीयता क्षयन के लिए जिम्मेवार निम्नलिखित कारक हैं—

1. हिन्दूकरण, 2. संस्कृतिकरण, 3. मुसलमानीकरण, 4. ईसाईकरण, 5. परसंस्कृति ग्रहण, 6. धार्मिक संस्थाएं, 7. संचार माध्यम, 8. धर्म निरपेक्ष शिक्षा, 9. प्रजातांत्रिक मूल्य, 10. नगरीकरण, 11. औद्योगीकरण, 12. पश्चिमीकरण, 13. आधुनिकीकरण।

हिन्दूकरण—जनजातीय लोगों का वास स्थान सुदूर जंगली, पहाड़ी, पठारी तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। जनजातीय लोगों के वास स्थान तक पहुंचने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनजातीय समाज के सदस्य अपने वास स्थान को सुरक्षित रखते आए हैं तथा बाहरी लोगों (दिकुओं) को संदिग्ध दृष्टि से देखते रहे हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जनजातीय समाज के सदस्य बाह्य जगत से बिल्कुल पृथक, रहे हैं। जनजातीय समाज के सदस्य हिन्दू जातियों के संपर्क में सदियों से हैं। कई सदियों के संपर्क के कारण हिन्दू जाति तथा धर्म का प्रभाव उन पर व्यापक रूप से पड़ा है। हिन्दूकरण प्रक्रिया के कारण जनजातीय समाज में जाति निर्माण, सामाजिक संस्तरण, हिन्दू देवी-देवताओं की पूजा, हिन्दू पर्व-त्योहार, हिन्दू तीर्थ स्थानों एवं त्योहारिक मेलाओं का भ्रमण इत्यादि आरंभ हुआ है।

हिन्दू जातियों के संपर्क में आने के कारण जनजातियों के बीच हिन्दूजातीय तत्वों का समावेश हुआ है। जनजातीय समाजों में हिन्दू जातीय समाजों की भांति पितृ स्थानीय निवास, पितृसत्तात्मक समाज, पितृपक्षीय वंश, पितृपक्षीय संपत्ति उत्तराधिकार, पितृपक्षीय पदवी, ग्राम बहिर्विवाही प्रथा इत्यादि का प्रचलन पाया जाता है। हिदू जातीय समाजों की भांति जनजातीय समाजों में बाल विवाह प्रथा तथा उपहार विनिमय आरंभ हुआ है। हिन्दू जातीय समाजों की तरह महिलाओं के अधिकार प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। कई जनजातियां तो हिन्दू जातीय पद्धति का अनुसरण करते हुए अपने आपंको हिन्दू जाति कहती हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश की गौंड जनजाति अपने आपको हिन्दू राजा की संतान तथा क्षत्रीय बतलाती हैं। पाण्डु जनजाति के सदस्य अपने आपको क्षत्रिय जाति बतलाते हैं। झारखंड की संथाल, भूमिज, चेरो तथा खरवार जनजातियां अपने आपको राजपूत कहती हैं। उपरोक्त जनजातियों द्वारा हिन्दू देवी-देवता की पूजा की जाती है तथा हिन्दू पर्व-त्योहार मनाया जाता है।

हिन्दू समाजों की भांति जनजातीय समाजों में सामाजिक स्तरण का विकास हुआ है तथा कुछ जनजातियों द्वारा दूसरी जनजातियों को अछूत कहा जाता है तथा उनसे भोजन-पानी संबंध नहीं रखा जाता है। उदाहरण के लिए झारखंड राज्य की जनजातियों में मुंडा, उरांव, हो तथा संथाल का स्थान समाज में श्रेष्ठ माना जाता है। इन जनजातियों द्वारा लोहरा, करमाली, महली तथा चिकबराईक जनजातियों को अछूत कहा जाता है। समाज में इन

Scanned with CamScanner

जनजातियों का स्थान निम्न माना जाता है। उच्च स्थान वाली जनजातियां निम्न स्थान वाली जनजातियों से भोजन-पानी संबंध नहीं रखती हैं।

हिन्दू समाज की भांति जनजातीय समाजों में जजमानी प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। लोहरा, करमाली, महली तथा चिक बराइक जजमानी प्रथा के अंतर्गत अपने-अपने हिन्दू जातीय तथा जनजातीय जजमानों की आवश्यकता पूर्ति अपनी-अपनी सेवाओं के माध्यम से करती हैं। अन्य हिन्दू जातियां जैसे नाई, कुम्हार इत्यादि अपनी-अपनी सेवाएं जनजातीय जजमानों को प्रदान करती हैं।

उपरोक्त विवरण से प्रतीत होता है कि हिन्दू समाज के संपर्क में आने के कारण जनजातीय समाज के सदस्य अपनी मूल सांस्कृतिक तत्वों का परित्याग कर हिन्दू जातीय सांस्कृतिक तत्वों को अपना लिए हैं। इसके कारण उनके बीच जनजातीयता क्षयन की स्थिति उत्पन्न हो गई हैं। अत: जनजातीयता क्षयन के लिए हिन्दूकरण की प्रक्रिया उत्तरदायी रही है।

संस्कृतिकरण—जनजातीय समाज में जनजातीयता क्षयन के लिए हिन्दूकरण से संबंधित एक-दूसरी प्रक्रिया संस्कृतिकरण भी जिम्मेवार रही हैं। संस्कृतिकरण प्रक्रिया के माध्यम से जनजातीय समाज के सदस्य उच्च हिन्दू जातीय जीवन पद्धति अपना लिए हैं तथा उच्च हिन्दू जातीय सांस्कृतिक तत्वों का पालन करते हैं। अब वे जनजातीय सांस्कृतिक तत्वों को परित्याग कर चुके हैं। इसके कारण जनजातीय समाज में जनजातीय सांस्कृतिक तत्वों का क्षयन हुआ है तथा हो रहा है। हिन्दू वर्ण व्यवस्था में द्विज जातियों का स्थान उच्च माना जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को द्विज जातियां कहा जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति का दूबारा जन्म कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रि अथवा वैश्य वर्ण में होता है। बाद में चलकर वर्णों को जाति व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। हिन्दू समाज में ब्राह्मण जाति का स्थान सबसे उच्च होता है। ब्राह्मण जीवन पद्धति अन्य जातियों के जीवन पद्धति से भिन्न है। उदाहरण के लिए सुबह उठकर स्नान करना, ललाट पर चंदन का तिलक लगाना, सूर्य भगवान को जल अर्पण करना, मंदिर में जाकर पूजा-पाठ करना, पूजा-पाठ के पश्चात् अन्न-जल ग्रहण करना, मांस-मदिरा का सेवन न करना, पूजा-पाठ मध्यस्थता का कार्य करना, सदाचारी जीवन व्यतीत करना, एक नारी ब्रह्मचारी धर्म का पालन करना, समाज के हित में उपदेश देना, पाप-पुण्य में अंतर करना इत्यादि ब्राह्मण जातीय जीवन पद्धति के अंग हैं। इन्हीं जीवन पद्धति के तत्वों के आधार पर ब्राह्मण जाति का स्थान समाज में श्रेष्ठ है। जनजातीय समाज के सदस्य भी जब हिन्दू जातियों के संपर्क में आए तो उन्हें भी ज्ञात हुआ कि ब्राह्मण अपनी विशिष्ट जीवनशैली के कारण हिन्दू समाज में श्रेष्ठ स्थान पाए हुए हैं। अत: जनजातियों द्वारा भी ब्राह्मण जीवन पद्धति को अपनाया गया है। उनके द्वारा ब्राह्मण के जीने की शैली का अनुसरण किया गया है। उदाहरण के लिए संथाल परगना के संथालों के बीच प्रचलित सफाहोर संप्रदाय तथा छोटा नागपुर के उरांवों के बीच प्रचलित ताना भगत संप्रदाय के लोग पूर्णरूपेन ब्राह्मण जीवन पद्धति को अपना लिए हैं। सवेरे उठकर स्नान

Scanned with CamScanner

करना, सूर्य भगवान को जल अर्पण करना, समीपस्थ मंदिर में जाकर पूजा करना, ललाट पर चंदन लगाना, जटा तथा शिखा बढ़ाना, झूठ न बोलना, समाज सेवा करना, धार्मिक अनुष्ठान कराना, मांस-मदिरा का सेवन न करना, परायी नारी के ऊपर कुदृष्टि नहीं डालना इत्यादि उनके दैनिक जीवन जीने के अंग बन गए हैं। उनके द्वारा नित्य हनुमान चालिसा, रामायण इत्यादि के बारे में चर्चा की जाती है। वे लोग जनेव भी धारण करते हैं।

ब्राह्मण के बाद हिन्दू समाज में स्थान क्षत्रिय जाति या राजपूत जाति का आता है। क्षत्रिय जाति के लोग राजवंश से संबंधित रहे हैं। उनसे वीर, साहसी तथा पराक्रमी के रूप में सामाजिक श्रद्धा जुड़ी रहती है। राजपूत अथवा क्षत्रिय जाति का जीवन पद्धति ब्राह्मण जाति के जीवन पद्धति से भिन्न है। क्षत्रिय अथवा राजपूत जाति के लोग किसी वीर साहसी एवं पराक्रमी राजपुरुष से अपना वंशानुक्रम दर्शाते हैं। वे अपने आपको योद्धा, साहसी तथा पराक्रमी मानते हैं। लड़ाई में आगे रहना तथा जंग जीतना वे अपना सम्मान मानते हैं। वीरतापूर्वक जीवन जीना तथा साहसिक कदम उठाना उनकी जातीय विशेषता होती है। शत्रु को पराजित करने में वे अपनी इज्जत शामिल मानते हैं। गरीबों दिन-दुखियों को सहायता करना वे अपना फर्ज मानते हैं। शराब तथा मांस सेवन को अपना जातीय विशेषता मानते हैं। कई भारत की जनजातियों द्वारा भी क्षत्रिय/राजपूत/ठाकुर जातीय जीवन पद्धति को अपनां लिया गया है। उदाहरण के लिए छोटा नागपुर की मुंडा जनजाति अपने आपको क्षत्रिय की संतान बतलाती है तथा अपने नाम के साथ सिंह पदवी जोड़ती है। राजपूत के समान मुंडा जाति के लोग अपने आपको साहसी, पराक्रमी, वीर इत्यादि के रूप में मानते हैं। मांसाहारी भोजन, शराब सेवन तथा शान से जीवन व्यतीत करना उनके जीवन का अभिन्न अंग है।

झारखंड राज्य के पलामू जिला में निवास करने वाली चेरो तथा खरवार जनजाति के सदस्य अपने आपको राजवंश से जोड़कर वंशानुक्रम दर्शाते हैं तथा प्राचीन क्षत्रिय राजाओं के वंशज बतलाते हैं। अपने नाम के साथ सिंह लगाते हैं तथा अपने आपके वीर योद्धा मानते हैं। बलि, मांस, मदिरा इत्यादि में विश्वास रखते हैं। मान भूमि के भूमिज तथा संथाल परगना के संथाल भी अपने आपको राजपूत योद्धा की संतान मानते हैं। अपने आपको योद्धा, साहसी तथा पराक्रमी बतलाना उनकी जातीय विशेषता बन गई है। बलि, मांस तथा मदिरा का सेवन भी राजपूत जाति के समान करते हैं।

मध्य भारत की गौंड जनजाति के सदस्य अपने आपको क्षत्रिय योद्धाओं की संतान तथा वंशज बतलाते हैं। राजपूत के समान अपने नाम के साथ सिंह पदवी जोड़ते हैं। देवताओं को खुश करने के लिए बकरा की बलि देते हैं तथा मांस-मदिरा का सेवन अपना जातीय गुण बतलाते हैं। मध्य प्रदेश की पाण्डु जनजाति भी अपने आपको पाण्डवों का वंशज बतलाती है। वे अपने आपको पाण्डव समान वीर, साहसी, क्षत्रिय, धैर्यवान इत्यादि बतलाते हैं। इस प्रकार उनकी जीवन पद्धति में राजपूत जातीय गुणों का समावेश हुआ है।

Scanned with CamScanner

राजस्थान की भील जनजाति के सदस्य अपने आपको महाराणा प्रताप के वंशज बतलाते हैं। वे अपने आपको महाराणा प्रताप के समान वीर, साहसी, धैर्यवान, स्वाभिमानी इत्यादि मानते हैं।

हिमालय क्षेत्र की थारु जनजाति के सदस्य अपने आपको क्षत्रिय जाति के वंशज बतलाते हैं तथा अपने नाम के साथ ठाकुर अथवा सिंह पदवी का प्रयोग करते हैं।

हिन्दू समाज में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के पश्चात् वैश्य का स्थान आता है। वैश्य कई हिन्दू जातियों का समूह होता है जिनकी मुख्य पेशा व्यापार, दुकानदारी, कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री रही है। आजकल जनजातीय समाज के सदस्यों द्वारा भी वैश्य जातीय जीवन पद्धति का अनुसरण किया जा रहा है। वैश्य वर्ण से जुड़ी हुई जातियों के समान, जनजातीय समाज के सदस्य भी छोटे-मोटे दुकानदारी तथा व्यवसाय में शामिल हुए हैं। वे अपने घर में लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं तथा प्रत्येक दिन लक्ष्मी-गणेश की पूजा करते हैं। लक्ष्मी-पूजा तथा दीपावली धूमधाम से मनाते हैं। शराब का सेवन करते हैं तथा जुआ भी खेलते हैं।

उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि संस्कृतिकरण प्रक्रिया के कारण जनजातीय समाजों में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जातीय जीवन पद्धति की शुरुआत हुई है तथा जारी है। संस्कृतिकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप जनजातीय समाज में जनजातीय सांस्कृतिक तत्वों का क्षयन हुआ है तथा हो रहा है। इस प्रकार जनजातीय समाज के बीच जनजातीयता क्षयन के लिए संस्कृतिकरण प्रक्रिया जिम्मेवार है।

मुसलमानीकरण—जनजातीय समाज के बीच जनजातीयता क्षयन के लिए मुसलमानीकरण प्रक्रिया भी जिम्मेदार रही है। मुगल शासनकाल में जनजातीय समाज मुसलमान समाज के संपर्क में आए। जनजातीय समाज को भी धर्मांतरण की स्थिति का सामना करना पड़ा। जनजातीय समाज के सदस्यों द्वारा भी इसलाम धर्म को स्वीकार करना पड़ा जिसके कारण धर्मांतरित जनजातियों के बीच जनजातीय सांस्कृतिक तत्वों का क्षयन हो गया तथा उनके स्थान पर इसलाम धर्म के तत्व अपना लिए गए। झारखंड राज्य के अंतर्गत कई ग्राम ऐसे हैं जो मूलरूप से जनजातियों के गांव थे। लेकिन धर्मांतरण के कारण वे गांव अब मुसलमान के गांव बन गए हैं। आज भी झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मुसलमान युवकों एवं जनजातीय युवतियों के बीच विवाह जारी है। इस अंतरजातीय एवं अंतर धार्मिक विवाहों के कारण जनजातीय जनसंख्या एवं जनजातीय सांस्कृतिक तत्वों का दिनोंदिन क्षयन हो रहा है। मुसलमान युवकों से विवाह करने के पश्चात् जनजातीय युवतियों को घर के अंदर रहना पड़ता है, पर्दा प्रथा पालन करना पड़ता है, सौतनों का सामना करना पड़ता है तथा अपने पैतृक संपत्ति तथा रिश्तेदारों से नाता तोड़ लेना पड़ता है। उन्हें ज्यादातर स्थिति में रखनी से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अतः भारतीय समाज में जनजातीयता क्षयन के लिए मुसलमानीकरण प्रक्रिया भी जिम्मेदार है।

Scanned with CamScanner

ईसाईकरण—भारतीय जनजातीय समाजों में जनजातीयता क्षयन के लिए ईसाईकरण प्रक्रिया भी जिम्मेदार रही है। ब्रिटिश शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए। ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा सरल जनजातीय समाजों का चयन ईसाई धर्म के प्रचार तथा प्रसार के लिए किया गया। ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा जनजातीय क्षेत्र में स्कूल तथा अस्पताल की स्थापना की गई। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा को आधार बनाकर जनजातियों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। इस प्रकार धर्मांतरण के कारण सरल जनजातीय समाज के सदस्य ईसाई धर्म स्वीकार करके ईसाई जीवन पद्धति अपना लिए हैं। ईसाई जनजातियों के मध्य ईसाई सांस्कृतिक तत्वों का समावेश हो गया है। उनकी जीवनशैली, अनुष्ठान, विश्वास, परंपरा, पर्व-त्योहार इत्यादि ईसाई धर्म के अनुकूल हो गए हैं। इस प्रकार ईसाई जनजातियों के बीच जनजातीय सांस्कृतिक तत्वों का क्षयन हो गया है। उनके द्वारा जनजातीयता के स्थान पर ईसाईयत को अपना लिया गया है। अब वे सारना स्थल को महत्त्व न देकर गिरिजाघर को महत्त्व देते हैं। ग्राम प्रधान, जनजातीय प्रधान, अंतर ग्राम पंचायत, परंपरागत ग्राम पंचायत इत्यादि की सलाह को न मानकर गिरिजाघर के पदाधिकारियों की बातों एवं सुझावों को मानते हैं। वे लोग जनजातीय पर्व को न मानकर ईसाई धर्म के पर्व-त्योहार को मनाते हैं। अत: स्पष्ट होता है कि ईसाईकरण प्रक्रिया जनजातीयता क्षयन के लिए जिम्मेवार रही है।

परसंस्कृतिग्रहण (Acculturation)—जनजातीय समाज में जनजातीय सांस्कृतिक तत्वों के क्षयन के लिए परसंस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया जिम्मेवार रही है। परसंस्कृति ग्रहण एक सांस्कृतिक परिवर्तन प्रक्रिया है जिसमें संपर्क द्वारा एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनाकर पूर्णरूपेण उस संस्कृति के अनुरूप बना लेती है। जब दो संस्कृतियां एक-दूसरे के संपर्क में आती हैं तब उनके बीच सांस्कृतिक तत्वों का आदान-प्रदान आरंभ होता है। लेकिन शनैः-शनैः जब एक संस्कृति के प्रभाव के कारण दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति में परिवर्तन आ जाता है, तब इस प्रक्रिया को परसंस्कृतिग्रहण कहा जाता है। परसंस्कृतिग्रहण प्रक्रिया के कारण जनजातीय समाज की जीवन पद्धति में कई प्रकार के परिवर्तन आए हैं। हिन्दूकरण, मुसलमानीकरण एवं ईसाईकरण के कारण जनजातीय जीवन पद्धति में हिन्दू जीवन पद्धति, मुसलमान जीवन पद्धति एवं ईसाई जीवन पद्धति का विकास हुआ है। अनेक जनजातीय सदस्यों द्वारा पूर्णरूपेण हिन्दू जीवन पद्धति, इसलाम जीवन पद्धति एवं ईसाई जीवन पद्धति अपना लिया गया है। इसके कारण जनजातीय समाज में जनजातीयता क्षयन की घटना प्रकाश में आई है।

धार्मिक संस्थाएं—जनजातीय समाजों में जनजातीयता क्षयन के लिए धार्मिक संस्थाएं, जैसे मंदिर, गिरिजाघर, धार्मिक स्वयंसेवी संगठन इत्यादि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। जिसके कारण जनजातीय समाजों में जनजातीयता क्षयन की घटना प्रकाश में आयी है। हिन्दू मंदिरों का निर्माण हिन्दू राजाओं द्वारा संपूर्ण जनजातीय क्षेत्रों में जगह-जगह पर किया गया है। उन मंदिरों में विशेष अवसर पर विशेष प्रकार की पूजा की जाती है तथा धार्मिक

Scanned with CamScanner

मेलों का आयोजन सदियों से किया जा रहा है। इसका प्रभाव उस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों पर पड़ा है तथा जनजातियों के मध्य हिन्दू जीवन पद्धति का विकास हुआ है। कई जनजातियां तो अपने आपको पूर्णरूपेण हिन्दू जाति कहने लगी हैं। वे अब जनजाति कहलाना नहीं चाहती हैं।

संपूर्ण जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा जगह-जगह पर गिरिजाघरों की स्थापना की गई है तथा जनजातियों को ईसाई बनाया गया है। वे गिरिजाघर में प्रत्येक रविवार को जाकर प्रार्थना करते हैं तथा ईसाई पर्व-त्योहारों को मनाते हैं। अब उनके बीच झगड़ों का निपटारा भी गिरिजाघरों के माध्यम से होता है।

संचार माध्यम—आवागमन के साधन में विकास के कारण भी जनजातीय समाजों के बीच जनजातीयता क्षयन की घटना प्रकाश में आयी है। आवागमन की सुविधा के कारण जनजातीय समाजों के बीच गैर-जनजातीय समाजों का संपर्क हुआ। जनजातीय समाज के सदस्य भी नगरीय तथा अन्य समाजों के संपर्क में आए। जनजातीय समाजों में गैर-जनजातीय समाजों की संस्कृति का प्रसार हुआ तथा अ-जनजातीयकरण की घटना प्रकाश में आई।

आधुनिक शिक्षा—आधुनिक शिक्षा के कारण भी जनजातीय समाज में जनजातीय सांस्कृतिक तत्वों के स्थान पर गैर-जनजातीय सांस्कृतिक तत्वों एवं वैज्ञानिक तत्वों को अपनाया गया है। आधुनिक शिक्षा के कारण जनजातीय समाजों में नई सुझ-बूझ, तर्क शक्ति, ज्ञान-विज्ञान का विकास हुआ है। नई सुझ-बूझ एवं दृष्टिकोण के कारण जनजातीय समाज के सदस्यों द्वारा अपनी परंपराओं, विश्वासों एवं रीति-रिवाजों का परित्याग किया जा रहा है तथा आधुनिक विचारों को अपनाया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा के प्रसार के कारण परंपरागत जनजातीय सांस्कृतिक तत्वों के स्थान पर नवीन तत्वों को अपनाया जा रहा है।

आधुनिक शिक्षा का प्रभाव सबसे अधिक युवागृहों के ऊपर पड़ा है। आजकल जनजातीय समाजों में युवागृह की संस्कृति विलोपन की स्थिति में पहुंच गया है। युवागृह नामक सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से जनजातीय युवकों को अपनी संस्कृति, प्रथा, रीति रिवाज एवं जीवन शैली की शिक्षा किशोर एवं किशोरियों को प्रदान की जाती थी। लेकिन आधुनिक शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान इत्यादि के प्रचलन के कारण युवागृह अपना मूल्य खो चुका है तथा युवागृह की संस्कृति विलोपन की स्थिति में आ गई है। उरांव में युवागृह को धमखुरिया, मुंडा में गिटियोरा तथा गौंड मे गोथुल के नाम से जाना जाता था।

आधुनिक शिक्षा के कारण जनजातीय समाज के सदस्य आधुनिक पेशा से जुड़ गए हैं। इसके कारण उनमें आधुनिक पेशा के प्रति आकर्षण बढ़ा है। आधुनिक पेशा से संबंधित विश्वास जागृत हुए हैं तथा परंपरागत पेशा के प्रति उदासीनता बढ़ी है। परंपरागत पेशा एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रथाओं एवं रीति-रिवाजों के प्रति उनमें विकर्षण उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार आधुनिक शिक्षा जनजातीयता क्षयन के लिए जिम्मेवार रही है।

प्रजातांत्रिक मूल्य—जब भारत आजाद हुआ तब हमारे देश में प्रजातांत्रिक संविधान एवं सरकार की स्थापना की गई। प्रजातांत्रिक संविधान एवं सरकार का स्वरूप धर्म निरपेक्ष

Scanned with CamScanner

होता है। सभी धर्मों के संप्रदायों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया तथा सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास किए गए। प्रजातांत्रिक मूल्यों के कारण जनजातीय समाजों के परंपरागत मूल्यों में परिवर्तन आए। जनजातियों के विकास हेतु नौकरी, शिक्षण संस्थान, संविधान सभा तथा लोकसभा में स्थान सुरक्षित किए गए। जनजातियों को भी मताधिकार प्रदान किया गया तथा सभी प्रकार के नागरिक अधिकार प्रदान किए गए। इन सबके परिणामस्वरूप जनजातीय समाज के सदस्यों की भागीदारी शिक्षण संस्थानों, नौकरियों, विधान सभाओं एवं लोक सभा में बढ़ी। अब उनके बीच थाना, न्यायालय, ग्राम पंचायत इत्यादि के माध्यम से समस्याओं का निपटारा किया जाता है। परंपरागत राजनीतिक संस्थाएं—प्रौढ़जन की सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, अंतर-ग्राम पंचायत तथा जनजातीय प्रधान—विलोपन की स्थिति में है अथवा बहुत जनजातीय समाजों में विलुप्त हो गई हैं। अब जनजातीय महिलाओं की भागीदारी भी आधुनिक ग्राम-पंचायत में बढ़ी है। वे केवल मतदान में ही भाग नहीं लेती, वरन् मुखिया, सरपंच, वार्ड, प्रमुख इत्यादि के चुनाव भी लड़ रही है तथा विजयी हो रही है।

अतः प्रजातांत्रिक मूल्य के कारण जनजातीय समाज के सदस्य भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। इसके कारण उनकी जनजातीय विशेषताओं का क्षयन हुआ है।

नगरीकरण—नगरीकरण के कारण भी जनजातीय समाजों को जनजातीयता क्षयन की स्थिति का सामना करना पड़ा है। जब विभिन्न प्रकार के नगरों की उत्पत्ति जनजातीय क्षेत्रों में हुई, तब जनजातीय समाज के सदस्य नगरीय समाज के सदस्यों के संपर्क में आए। इसके कारण उनमें नगरीय जीवन शैली का विकास हुआ तथा उनके द्वारा भी नगरीय जीवन शैली अपनाई गई। नगरीय समाज के संपर्क के कारण उनके बीच सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हुई। नगर में काम करने विभिन्न क्षेत्र से विभिन्न संस्कृति के लोग आए। वे लोग अपने साथ अपनी-अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं एवं रिवाजों को भी लाए। जब जनजातीय समाज उनके संपर्क में आए तो वे गैर-जनजातीय सांस्कृतिक तत्वों को अपना लिए। इसके परिणामस्वरूप उन्हें जनजातीयता क्षयन की स्थिति से गुजरना पड़ा है तथा पड़ रहा है।

औद्योगीकरण—जनजातीय क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों के शोषण एवं विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन हेतु जनजातीय क्षेत्रों में आजादी के बाद कई प्रकार के उद्योगों की स्थापना की गई है। उद्योगों की स्थापना में जनजातियों को विस्थापन की समस्या का सामना करना पड़ा है। विस्थापन के कारण उनके सारना स्थल, ग्राम देवी-देवता, विश्वास, प्रथाओं, रिवाजों का विलोपन हो गया है। सही ढंग से पुनर्वास व्यवस्था नहीं लागू किए जाने के कारण कई जनजातीय परिवार उजड़ गए तथा अस्तित्वहीन हो गए।

उद्योग की स्थापना के बाद कई जनजातीय समाज के सदस्य औद्योगिक समाज के सदस्यों के साथ-साथ काम करने लगे तथा कालोनी में रहने लगे। पढ़े-लिखे जनजातीय

Scanned with CamScanner

सदस्यों के बीच अपनी परंपरा के प्रति हीन भावना का विकास हुआ। वे लोग अपनी परंपरा को त्यागकर औद्योगिक समाज की परंपरा, विश्वास एवं प्रथाओं को अपनाए। इसके कारण जनजातीयता क्षयन प्रकाश में आया।

औद्योगीकरण के कारण विस्थापित एवं अपुनर्वासित जनजातीय परिवार के सदस्य भीखमंगी या भिखारी की पेशा अपना रहे हैं। उनके बीच चोरी, डकैती, वेश्यावृत्ति पनप रही है।

पश्चिमीकरण—जनजातीयता क्षयन के लिए पश्चिमीकरण प्रक्रिया भी उत्तरदायी रही है। ब्रिटिश शासनकाल में जनजातीय समाज पश्चिमी समाज के संपर्क में आया। ब्रिटिश शासकों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाया गया, जमींदारी प्रथा स्थापित की गई, सेना, पुलिस, थाना तथा न्यायालय की स्थापना की गई, स्कूल तथा हाट की व्यवस्था की गई, सड़क, रेलमार्ग इत्यादि का निर्माण किया गया। जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों का प्रवेश आरंभ हुआ। इन सभी क्रियाकलापों के फलस्वरूप जनजातीय समाज में जनजातीयता क्षयन की घटना प्रकाश में आयी।

आधुनिकीकरण—ब्रिटिश शासनकाल में जनजातीय समाज आधुनिक समाज के संपर्क में आया तथा उनके बीच आधुनिकता का दौर प्रारंभ हुआ। गृह, वस्त्र, खेल, खेल उपकरण, विचार, विश्वास, प्रथा, शिक्षा, कानून, जीने का ढंग, व्यवहार के नियम, खान-पान, नृत्य, संगीत, मनोरंजन इत्यादि को आधुनिक बनाया गया। आधुनिकता को अपनाने में कई परंपरागत सांस्कृतिक तत्वों के स्थान पर नवीन तत्वों को अंगीकार किया गया। नवीनता के दौर में कई परंपरागत सांस्कृतिक तत्व विलोपन के कगार पर पहुंच गए। जैसे युवागृह, प्रौढ़जन की सभा, ग्राम प्रधान, मुंडा, पाहन, मानकी, अखाड़ा, नृत्य, संगीत, कथा, कहानी इत्यादि। आधुनिकता को स्वीकार करने के कारण कई परंपरागत विश्वासों को अंध विश्वास कहा गया तथा उन्हें कुरीति की संज्ञा दी गई। इस प्रकार आधुनिकता को अपनाने के संदर्भ में कई जनजातीय सांस्कृतिक तत्व विलुप्त हो गए तथा जनजातीय समाज को जनजातीयता क्षयन की स्थिति से गुजरना पड़ा है।

जनजातीयकरण/जनजातीयता ग्रहण (Tribalisation)

जनजातीयकरण/जनजातीयता ग्रहण/अ-जनजातीयकरण/वि-जनजातीयकरण/जनजातीयता क्षयन की विपरीत प्रक्रिया है। जहां अ-जनजातीयकरण प्रक्रिया में जनजातीय समाज को गैर-जनजातीय समाजों के संपर्क में आने के कारण जनजातीयता क्षयन की स्थिति से गुजरना पड़ता है, वहीं जनजातीयकरण प्रक्रिया के अंतर्गत गैर-जनजातीय समाजों को जनजातीय समाज के संपर्क में आने के कारण जनजातीयता ग्रहण की स्थिति से गुजरना पड़ता है। जहां अ-जनजातीयकरण प्रक्रिया का संबंध संस्कृतिकरण एवं गैर-जनजातीय संस्कृतिग्रहण से है, वहीं जनजातीयकरण प्रक्रिया का संबंध गैर जनजातियों द्वारा जनजातीय संस्कृति ग्रहण करने से हैं।

Scanned with CamScanner

हमारे देश के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में कई हिन्दू जातियां जनजातियों के साथ-साथ एक ही गांवों में सालों से रह रही हैं। उनकी जीवनशैली, परंपरा, रीति-रिवाज, प्रथा, कानून, खान-पान, व्यवहार, विश्वास, जीवन पद्धति, नृत्य, संगीत इत्यादि जनजातीय सांस्कृतिक तत्वों के समान हो गए हैं। उनकी जीवन पद्धति तथा जनजातीय जीवन पद्धति में अंतर नहीं स्पष्ट किया जा सकता है। उनका रहन-सहन, खान-पान, बात-व्यवहार, बोली-चाली, जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके इत्यादि उस क्षेत्र की जनजातियों के समान हो गया है। अत: उन जातियों द्वारा जनजातीय संस्कृति को अपना लिया गया है। अत: जनजातीयकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जातियों द्वारा जनजातीय सांस्कृतिक विशेषताओं को अपना लिया गया है।

जनजातीयकरण की प्रक्रिया झारखंड राज्य के छोटा नागपुर तथा संथाल परगना क्षेत्र में भी सक्रिय रही है। छोटा नागपुर तथा संथाल परगना के जनजातीय गांवों में रहने वाली अनेक हिन्दू जातियों द्वारा जनजातीय रीति-रिवाजों, कर्म-कांडों, धार्मिक अनुष्ठानों, विशेषज्ञों तथा व्यवहार प्रतिमानों को अपना लिया गया है। उदाहरण के लिए छोटा नागपुर तथा संथाल परगना के जनजातीय गांवों में निवास करने वाली कुर्मी, कुम्हार, ग्वाला, धानुक, कहार, गरेरी, नोनिया, नाई, पनेरी, तमोली, तांती, मल्लाह, भुइयां, गंझु इत्यादि हिन्दू जातियों के सांस्कृतिक प्रतिमान में जनजातीय संस्कृति का समावेश देखने को मिलता है। जनजातीयकरण की प्रक्रिया का संबंध अ-संस्कृतिकरण/वि-संस्कृतिकरण से संबंधित प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत गैर-जनजातीय समाज के सदस्य जनजातीय जीवनशैली एवं आचरण के अनुरूप व्यवहार प्रतिमान विकसित कर लेते हैं।

उपरोक्त हिन्दू जातियों द्वारा जनजातियों की भाषा एवं बोली का प्रयोग किया जाता है। जनजातियों के समान अखरा नृत्य एवं संगीत का प्रचलन है। जनजातियों के समान जीवन साथी प्राप्त करने के लिए वधू मूल्य, सहपलायन, सेवा, परीक्षा इत्यादि तरीकों को अपनाया जाता है। सामाजिक संगठन का आधार टोटमिक गोत्र होता है। सरना स्थल में विश्वास व्यक्त किया जाता है। प्रौढ़जन की सभा, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, अंतर ग्राम पंचायत जनजातीय प्रधान इत्यादि में आस्था व्यक्त की जाती है। सिंगबोंगा, धरती माता तथा माना में विश्वास व्यक्त किया जाता है। समीपस्थ जंगलों में खाद्य संकलन एवं शिकार भी किया जाता है। जनजातीय ग्राम के देवी-देवताओं, देव स्थलों, पाहनों, मुंडाओं, सरदारों इत्यादि में विश्वास व्यक्त किया जाता है। चिकित्सा मानव तथा जादुई क्रियाओं को भी अपनाया जाता है। विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक उत्सवों पर जनजातियों के समान नृत्य, संगीत हड़िया सेवन इत्यादि परंपराओं का पालन किया जाता है। ग्राम स्तर की पूजा में सहयोग दिया जाता है। जनजातीय पर्व-त्योहारों को मनाया जाता है।

मध्य प्रदेश एवं नवसृजित छत्तीसगढ़ राज्य में भी जनजातियों के साथ रहने वाली हिन्दू जातियों द्वारा जनजातीय जीवनशैली एवं सांस्कृतिक प्रतिमान विकसित कर लिए गए हैं। उदाहरण के लिए पनिका, ग्वाला, अहिर इत्यादि। उसी प्रकार राजस्थान, उड़ीसा,

Scanned with CamScanner

पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में भी जनजातीय समाज के साथ गांवों में रहने वाली हिन्दू जातियों द्वारा जनजातीय जीवन पद्धति एवं सांस्कृतिक प्रतिमान विकसित कर लिए गए हैं।

आजकल तो उन्हीं सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर जनजातीय क्षेत्र में रहने वाली हिन्दू जातियों द्वारा जनजाति बनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। छोटा नागपुर की कुरमी, कुम्हार, ग्वाला तथा मध्य प्रदेश की पनिका एवं अहीर हिन्दू जातियों द्वारा जनजाति घोषित करने की मांग की जा रही है ताकि उन्हें भी जनजातियों के समान आरक्षण सुविधा एवं जनजातीय उप-योजना का लाभ प्राप्त होते रहे।

Scanned with CamScanner